VAID'S ICS LUCKNOW

IAS/PCS/PCS(J)

Estd :1988

डेली करेंट अफेयर्स जून–2019

(10th June)

Topic: For prelims and mains:

ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2019 और भारत :

समाचार में क्यों? हाल ही में सेव द चिल्ड्रेन (Save the Children) नामक गैर सरकारी संस्था (Global Non-Profit Organisation) ने ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट (Global Childhood Report) जारी की है जिसमें वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए इस संबंध में उचित कदम उठाने की वकालत की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- संपूर्ण विश्व में बच्चों के लिये सुरक्षित और भय–मुक्त वातावरण का निर्माण कर उनके बाल–अधिकारों की रक्षा करना है।
- 176 देशों की सूची में भारत **113वें** स्थान पर रहा। भारत की स्थिति में लगातार सुधार जारी है लेकिन अभी भी बालिकाओं की स्थिति में सुधार हेतु बहुत कुछ किया जाना शेष है।
- वर्ल्ड चाइल्डहुड रिपोर्ट विभिन्न देशों के बच्चों और किशोरों **(0–19 वर्ष)** की स्थिति का मूल्यांकन आठ संकेतकों के आधार पर करती है जो इस प्रकार हैं–

पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर :

- कुपोषण, अशिक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह, किशोर अवस्था में बच्चों का जन्म, बाल हत्या

विस्थापन :

- वर्ष 2000 और वर्ष 2019 के मध्य भारत ने अपने स्कोर अर्थात् अपने प्रदर्शन में सुधार किया। इस अवधि के दौरान भारत ने निर्धारित स्कोर (1000 के कुल मूल्यांकन स्कोर) को ***632 से बढ़ाकर 769*** कर लिया।
- वर्ष 2018 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार दर्ज करते हुए 172 देशों की सूची में ***116वाँ*** रैंक प्राप्त किया था।
- वर्ष 2000 में दुनिया भर में अनुमानित 970 मिलियन बच्चे कथित आठ संकेतकों के कारण अपने बाल अधिकारों से वंचित थे।
- वर्ष 2019 में कथित संस्था द्वारा रेखांकित समस्याओं में ***29 प्रतिशत*** की गिरावट हुई जिसके कारण बाल–अधिकारों से पीड़ित बच्चों की संख्या 690 मिलियन पर सिमट गई।
- वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और वैश्विक स्तर पर हाशिये पर पड़े बच्चों हेतु स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
- बाल अधिकारों से संबंधित संवेदनशील मुद्दों को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों को न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा के एजेंडे को अपनाने की जरूरत है।
- इस बात की ओर भी संकेत किया गया है कि बाल गरीबी को कम करने अथवा खत्म करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्ययोजना की जरूरत के साथ ही इन योजनाओं की सफलता को मापने हेतु बजट एवं एक मजबूत निगरानी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है। यह कदम गरीबी से होने वाली हानि और बाल सुधारों के बेहतर परिणामों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

भारत और बाल स्वास्थ्य :

- भारत में संक्रामक रोगों से ***पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु*** हो जाती है।
- भारत ने पिछले दो दशकों में ***बाल मृत्यु दर में 55 प्रतिशत की कमी*** की है।
- भारत में संक्रामक रोगों को बाल मृत्यु के लिये सर्वाधिक जिम्मेदार तत्त्व माना गया है, इसके बाद ***चोटों, मस्तिष्क ज्वर, खसरा और मलेरिया को शामिल किया गया है।***
- बाल मृत्यु दर के मामले में भारत का प्रदर्शन केवल पाकिस्तान ***(74.9 प्रतिशत)*** से बेहतर पाया गया। इस संबंध में भारत अपने अन्य पड़ोसी देशों ***जैसे– श्रीलंका, चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे रहा।***
- ***वर्ष 2000 से वर्ष 2019*** के बीच वैश्विक स्तर पर नाटे कद के बच्चों की संख्या में ***25 प्रतिशत की कमी का ट्रेंड देखा गया, इस गिरावट को पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखा गया। 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट अकेले चीन और भारत में पाई गई।***
- अपने बच्चों को मुफ्त सार्वभौमिक शिक्षा देने के बावजूद, ***20.2 प्रतिशत (8–16 वर्ष की आयु वाले)*** बच्चे अभी तक स्कूल जाने के अपने अधिकार से वंचित हैं। ***इस संबंध में अपने पड़ोसियों की तुलना में भारत केवल पाकिस्तान (40.8 प्रतिशत) से बेहतर स्थिति में है जबकि श्रीलंका (6.4 प्रतिशत), नेपाल (13.8 प्रतिशत),***

बांग्लादेश (17.4 प्रतिशत), भूटान (19.1 प्रतिशत) और चीन (7.6 प्रतिशत) ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

- ***वर्ष 1978 में भारत ने लड़कियों*** के लिये विवाह की न्यूनतम आयु ***15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष*** और लड़कों के लिये ***18 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 21 कर दी थी।*** पिछले दो दशकों में भारत ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 जैसे कानूनों के माध्यम से बाल विवाह पर अंकुश लगाने का कार्य किया है और किशोरियों के सशक्तीकरण के लिये विभिन्न योजनाओं ***जैसे– किशोरी शक्ति योजना (सबला) और किशोरियों के लिये पोषण कार्यक्रम का संचालन भी किया है।***
- वर्तमान में भारत में प्रत्येक पाँच में से ***1 बच्चा अभी भी स्कूली शिक्षा से वंचित है।***
- इस गिरावट का कारण कमजोर आर्थिक विकास, लड़कियों की शिक्षा की बढ़ती दरों और सरकार द्वारा सक्रिय निवेश को जिम्मेदार ठहराया है।
- इसके अतिरिक्त नारी हेतु परामर्श, यौन, प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण सशक्तीकरण और लड़कियों के लिये जीवन–कौशल विकास भी इस गिरावट के महत्त्वपूर्ण कारक रहे हैं।
- बालिकाओं को शिक्षित करने के लिये सशर्त नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं को बाल विवाह कम करने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के तौर पर रेखांकित किया गया है।
- ***भारत ने वर्ष 2000 के बाद से किशोर उम्र में बच्चों को जन्म देने की दर में 63 प्रतिशत तक की कमी*** कर एक बड़ी कामयाबी को प्राप्त किया है। परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत में 2 मिलियन से कम युवा माताएँ हैं।
- भारत ने वर्ष 2000 से वर्ष 2018 के मध्य बाल विवाह में अप्रत्याशित सफलता दर्ज करते हुए 51 प्रतिशत की कमी को हासिल किया।

सेव द चिल्ड्रेन संस्था :

- वर्ष 1919 में स्थापित सेव द चिल्ड्रेन संस्था अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक गैर–सरकारी संगठन (NGO) है।
- यह संस्था बाल अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है।
- कथित संस्था प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएँ और बाल अपराध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत के सुदूर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम संचालित करती है।
- वर्ष 2008 से भारत में अपने कार्य की शुरुआत करते हुए इस संस्था ने दिसम्बर 2018 तक , भारत के 19 राज्यों में अपनी पहुँच बनाते हुए तकरीबन ***12.03*** लाख बच्चों के जीवन में बदलाव को रेखांकित किया
- वर्तमान में सेव द चिल्ड्रेन संस्था ***80*** से अधिक देशों के उन क्षेत्रों के लिये अपनी सेवाएँ दे रही है जहाँ पर बच्चे सर्वाधिक दयनीय व अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर हैं।

****

Topic: For prelims and mains:

मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट :

समाचार में क्यों? "मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट"(Milk Fortification Project) नामक पहल की शुरुआत ***विश्व बैंक* (World Bank), *टाटा ट्रस्ट* (Tata Trusts) *और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड* (National Dairy Development Board-NDDB)** ने उपभोक्ताओं में विटामिन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से की थी। उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्मित मानकों के आधार पर फोर्टिफिकेशन किया जाता है।
- ***वर्तमान में देश के 20 राज्यों में लगभग 25 दुग्ध फेडरेशन, निर्माता कंपनियाँ या दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 55 लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं।***
- अब तक लगभग ***1 मिलियन टन दूध को फोर्टिफाई*** किया जा चुका है।

***मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट* (Milk Fortification Project) :**

- इस परियोजना की शुरुआत ***5 सितंबर 2017 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड* (National Dairy Development Board-NDDB) *ने विश्व बैंक और टाटा ट्रस्ट*** के साथ मिलकर की थी।
- इस परियोजना का लक्ष्य 30 मिलियन ग्राहकों की दुग्ध तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये लगभग 2 मिलियन टन दूध की प्रोसेसिंग करना है।
- इस परियोजना की के लिये निर्धारित ***अवधी 23 माह है तथा इसका वित्तपोषण दक्षिण एशिया खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पहल* (South Asia Food and Nutrition Security Initiative-SAFANSI)** द्वारा किया गया है और यह विश्व बैंक द्वारा प्रशासित है।
- SAFANSI का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के मानकों में सुधार करना तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए दीर्घकालिक कुपोषण की समस्या को हल करना है।
- इस परियोजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, विश्व–बैंक के लिये परामर्शदाता की भूमिका का भी निर्वहन करता है। ***यह परियोजना के कार्यान्वयन (जैसे– दूध के फोर्टिफिकेशन और परीक्षण के लिये* SOPs *का विकास, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और प्रचार सामग्री विकसित करना)*** हेतु दुग्ध संघों, दुग्ध–निर्माता कंपनियों एवं इस परियोजना से जुड़े अन्य निकायों को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है।

माइक्रोन्यूट्रीएंट मैलन्यूट्रीशन (Micronutrient malnutrition) :

- माइक्रोन्यूट्रीएंट मैलन्यूट्रीशन (Micronutrient malnutrition) का तात्पर्य आहार में विटामिन और खनिज पदार्थों की कमी के कारण होने वाले रोगों से है।
- माइक्रोन्यूट्रीएंट मैलन्यूट्रीशन में सामान्यतः विटामिन–A, आयरन और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग शामिल होते हैं।
- गरीबी, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता, बेहतर आहार प्रणालियों के बारे में जानकारी का अभाव और संक्रामक रोगों की अधिकतम घटनाएँ आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो ***माइक्रोन्यूट्रीएंट कुपोषण*** का कारण बनते हैं।
- सामजिक स्तर पर कुपोषण के इस स्वरुप का विस्तार बहुत तीव्रता से हो रहा है। जिससे लोगों की कार्यक्षमता क्षीर्ण हो रही है इसके साथ ही लोगों में बीमारी और विकलांगता की दर तेजी से बढ़ रही है जो मानव समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- खाद्य संवर्द्धन ही इस समस्या से निपटने का एक मात्र उपाय है। ***फोर्टिफिक्केशन*** के अंतर्गत दूध, चावल, नमक इत्यादि की गुणवत्ता सुधारने हेतु कृत्रिम विधियों से इनमें आयरन, जिंक, आयोडीन, और विटामिन A और D को बढ़ाना है।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। जिसकी प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता वर्ष 2017–18 में बढ़कर ***375 ग्राम प्रति*** दिन हो गई है। दूध का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन एवं व्यापक वितरण की व्यवस्था, संतुलित आहार का अभिन्न अंग होने के कारण संवर्द्धन का सबसे बेहतर विकल्प साबित हुआ है।

माइक्रोन्यूट्रीएंट मैलन्यूट्रीशन और भारत :

- ***भारत में विटामिन A की कमी से ग्रसित शिशुओं की संख्या वैश्विक स्तर पर इस रोग से ग्रसित शिशुओं की संख्या का एक–चौथाई है*** जबकि ***आयोडीन की कमी से लगभग 13 मिलियन शिशु*** इससे ग्रसित हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (National Family Health Survey-4) के आँकड़ों के मुताबिक, भारत में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में ***38.4 प्रतिशत*** बच्चों का वजन कम है, ***21 प्रतिशत*** बच्चे वेस्टिंग से पीड़ित हैं और ***35.7 प्रतिशत*** बच्चों का वजन सामान्य से कम हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) :

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ***स्थापना वर्ष 1965 में शोषण*** के स्थान पर सशक्तीकरण, परंपरा के स्थान पर आधुनिकता और स्थिरता के स्थान पर विकास लाने के लिये की गई थी। इसका उद्देश्य डेयरी उद्योग को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास के साधन के रूप में परिवर्तित करना है।
- प्रारंभ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत था। बाद में छक्क्ठ अधिनियम, 1987 के अंतर्गत भारतीय डेयरी ***निगम (कंपनी अधिनियम 1956 के तहत***

पंजीकृत एवं स्थापित) के साथ इसका विलय हो गया जो 12 अक्तूबर, 1987 से प्रभावी हुआ। इस नव–निर्मित कॉर्पोरेट संस्था को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया।

- इसके बाद से, डेयरी बोर्ड ने भारत में डेयरी उद्योग के विकास हेतु डेयरी कार्यक्रमों की योजना बनाई। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्योग के विकास दायित्व उन दुग्ध उत्पादकों को सौंप दिया जो समितियों के प्रबंधन के लिये पेशेवरों की नियुक्ति करते हैं।

****

Topic: For prelims and mains:

सभी दवाओं की बारकोडिंग अनिवार्य :

समाचार में क्यों? हाल ही में सरकार ने भारत में नकली दवाओं के उभरते बाजार पर अंकुश लगाने के लिये ***स्थानीय स्तर पर बेची जाने वाली सभी दवाओं पर बारकोडिंग को अनिवार्य करने की योजना बनाई है।*** हालाँकि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के निर्यात के क्षेत्र में उनकी प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये यह व्यवस्था पहले से ही भारत में लागू है।

आवश्यकता क्यों है?

- ***संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि* (United States Trade Representative-USTR) *के कार्यालय द्वारा अप्रैल में जारी एक वार्षिक रिपोर्ट* 'Special 301 Report' *जिसमें 'बौद्धिक संपदा संरक्षण'*** और Notorious Markets की समीक्षा की गई है में यह बात सामने आई है कि भारत में नकली दवाओं के बढ़ते बाजार की समस्या अत्यंत गंभीर है।
- USTR की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बाजार में बेची जाने वाली सभी दवाइयों की लगभग 20% दवाइयाँ नकली हैं।

औषधीय/फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत की स्थिति :

- भारत अपनी उच्च घरेलू मांग और सस्ती विनिर्माण लागत के कारण कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में विश्व के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
- भारत औषधीय बाजार के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर है जबकि मूल्य निर्धारण के मामले में ***13वें स्थान*** पर है।
- हालाँकि नकली दवाओं से संबंधित यह समस्या एक वैश्विक मुद्दा है, जो अल्पविकसित और विकासशील देशों (***निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों)*** में अधिक प्रचलित है।

- एक अनुमान के अनुसार निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में ***10–30 प्रतिशत दवाएँ नकली होती हैं*** जबकि उच्च आय वाले देशों में महज ***1 प्रतिशत*** नकली दवाओं का मामला पाया जाता है।

भारत में नकली दवाओं के बाजार का कारण :

- चिकित्सा देखभाल तक सीमित पहुँच, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- आपूर्ति श्रृंखला में बाधा।
- उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी।
- दवाओं के खुद से (बिना डॉक्टर की सलाह के) लेने का प्रचलित तरीका।
- असली दवाओं की उच्च लागत।
- भ्रष्टाचार मामले में उचित कार्यवाही नहीं अर्थात् कानून का सही से लागू न किया जाना।
- ऑनलाइन फार्मेसिज का प्रचलन।
- जालसाजी में आधुनिक तकनीकों का उपयोग।

भारत में नकली और रद्दी दवाओं का वर्गीकरण :

- ***ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 (D and C) Act, 1940, के अनुसार, खराब गुणवत्ता वाली दवाओं में क्रमशः नकली और मिलावटी दवाएँ शामिल हैं।***
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO) ने श्मानक गुणवत्ता का नहींश (Not of Standard quality- NSQ) उत्पादों को तीन श्रेणियों A, B और C में वर्गीकृत किया है जो गुणवत्ता मूल्यांकन के दौरान उत्पादों को वर्गीकृत करने में सहायक है।

बारकोडिंग के लाभ :

- दवाओं की बिक्री के लिये बारकोडिंग लागू करने से दवाओं की प्रामाणिकता, उनकी उपलब्धता, समाप्ति की तारीख इत्यादि के बारे में आसानी से जाँच की जा सकेगी। इसके साथ ही दवाओं को ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर उनको वापस मंगाने संबंधी सभी कार्यों को आसानी से किया जा सकेगा।

आगे की राह :

लोगों में जागरूकता बढ़ाना:

- ***भारत के लगभग 650 मिलियन लोग मोबाइल फोन उपयोगकर्त्ता हैं जिनमें से लगभग 78 प्रतिशत*** लोगों की इंटरनेट तक पहुँच है। नकली और मिलावटी दवाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी का प्रसार करके इस मुद्दे का शीघ्र और प्रभावी समाधान किया जा सकता है।

जालसाजी को रोकने हेतु नवाचारी उपायों को लागू करना :

- नई पीढ़ी की जालसाजी रोकने वाली तकनीकों, जैसे– फोरेंसिक पहचान (रासायनिक, जैविक और डीएनए संबंधी), क्लाउड–आधारित डेटा श्रृंखला संग्रह का उपयोग और आपूर्ति श्रृंखला में ब्लॉकचेन का उपयोग नकली दवाओं को रोकने के लिये किया जा सकता है।

CDSCO:

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization& CDSCO) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (NRA) है।
- ***इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।***
- देश भर में इसके ***6 जोनल कार्यालय, 4 सब–जोनल कार्यालय, 13 पोर्ट ऑफिस और 7 प्रयोगशालाएँ*** हैं।
- ***विजन:*** भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना।
- ***मिशन:*** दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तय करना।
- ***ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एंड रूल्स 1945 (The Drugs - Cosmetics Act,1940 and rules 1945) के तहत CDSCO दवाओं के अनुमोदन*** क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रवर्तन में एकरूपता लाने के लिये उत्तरदायी है।

****

प्रिलिम्स के लिए तथ्य

❖ ***विश्व महासागर दिवस:***

- ***8 जून को पूरी दुनिया में विश्व महासागर दिवस*** **(World Ocean Day)** के रूप में मनाया गया। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये मनाया जाता है।
- वर्ष 2019 के लिये इस दिवस की थीम 'Gender and oceans' है।

****

VAID'S
ICS
LUCKNOW
IAS/PCS/PCS(J)